[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

importance of immediate relief to the person who is aggrieved. As the National Labour Commission has said, in 1969 the law was made, recommendations were made, and only three States have such a provision under the law that the individual workers can go to the court.

I appeal to this House that this amending Bill may be accepted.

The question was proposed.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 30TH APRIL, 1984

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): With your permission, Sir, I rise to announce that the Government business in this House during the week commencing 30th April, 1984 will consist of:—

1. Consideration and passing of the following Bills as passed by the Lok Sabha:

   (a) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 1984.

   (b) The Payment of Gratuity (Second Amendment) Bill, 1984.

2. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the National Security (Amendment) Ordinance, 1984 and consideration and passing of the National Security (Amendment) Bill, 1984, as passed by the Lok Sabha.

3. Consideration and return of the Finance Bill, 1984 as passed by the

The Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 1980—contd.

श्री सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश) : माननीय वाइस चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उन लोगों में हूं जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हमारे देश के जरनलिजम में काम करने वालों को पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए और साथ ही साथ इस पेशे की जो अपनी मान्यतायें हैं, जो उस के अपने अकदार हैं उन को ज्यादा मजबूत बनाने चाहिए। धाबे जी ने अभी जो यहां पर बिल रखा है, लगभग दो साल पहले 1981 में हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने उन तमाम बातों पर विचार करते हुए जो पालेकर एवार्ड हमारे सामने आया था और जो और दिक्कतें वर्किंग जरनलिस्टस के पेशे में थी और दूसरे जो इस में काम करने वाले लोग थे उन सब पर विचार कर के एक आर्डिनेंस के जरिये उन सहूलियतों को पहले प्रोवाइड किया था और उस के बाद उन का एक ऐक्ट बना जिसके ऊपर काफी चर्चा इस सदन में और दूसरे सदन में भी हुई थी। आज हमें खास तौर पर यह देखना होगा कि क्या जिस तरह का प्राविधान और जिस तरह का संशोधन अभी धाबे जी ने रखा है उससे कोई खास मकसद हासिल होगा या नहीं। मैं समझता हूं लेबर कोर्ट के जरिये, सरकार के माध्यम से लेबर

किया जाता है या एजुडिकेशन के लिये जो मामले भेजे जाते हैं वह काफी मुनासिब तरीका है क्योंकि काफी वकफा मिलता है इम्प्लायर और इम्प्लाई को आपस में बात चीत करने का और एक समझौते तक पहुंचने का । आज जहां हमारे धावे जी ने लिटिगेशन की बात कही, अदालतों को अगर देखा जाय तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और नीचे की जो हमारी अदालतें हैं, विशेषत: हाई कोर्ट में तो बहुत लम्बी तादाद में ऐसे मुकदमे पड़े हुए है जिन में कोई फैसला नहीं हो सका है और कुछ मुकदमे तो इतने दिनों से पड़े हुए हैं कि जिन की मियाद 8 और 10 साल तक जाती है । ऐसी सूरत में ऐसे तनाजात जो हैं उन के सिलसिले में डाइरेक्ट कोर्ट में जाने से मैं समझता हूं कि ज्यादा देर हो जाने का भय है और इस लिये मैं समझता हूं कि जिस तरह का अमेंडमेंट आप यहां रख रहे हैं उस से कोई बहुत ज्यादा फायदा जो इस पेशे में हमारे जरनलिस्ट हैं उन को नहीं पहुंचेगा । हमने 1981 के ऐक्ट ; खासकर सस्पेंशन, रेक्रूटमेंट, छटनी और दूसरी तरह तरह की ज्यादतियां जैसे हमारे पार्ट-टाइम जरनलिस्टों के साथ होती थीं, उनको रोका गया, उनको एक हैसियत दी गई है । उनको बराबर के अख्तियारात अब मिले हुए हैं बाकी लोगों को जैसे मिले हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पालेकर अवार्ड के आने के बाद उसको अमल में लाने की क्या सूरतेहाल है । पालेकर अवार्ड के आने से बड़े अखबारों के मालिकान ने वर्किंग जरनलिस्ट्स के खिलाफ ऐसे अनेक ऐकदामाद किए थे और करीब ढाई हजार के लगभग लोग रिट्रेंच कर दिए गए थे पालेकर अवार्ड बनने के बाद उनकी क्या स्थिति है ? कितने लोगों को अब उनके कामों पर वापस लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे जो कारसपोंडेंट और स्पेशल कारस्पोंडेंट हैं, रिपोर्टर है, आज जो हमारी स्थिति है, उसके अन्दर उनकी जिन्दगी को कभी कभी बहुत खतरों का सामना करना पड़ता है। अभी अभी हाल ही में कई वाकायात ऐसे हुए हैं कि जो समाज के अच्छे लोग नहीं हैं, उनके खिलाफ जब भी कोई चीज वह निकालकर लाते हैं और लिखने की कोशिश करते या लिखते हैं तो उन्हें दंड की सूरत में जिन्दगी से भी हाथ धोने पड़ते हैं, उनकी जिन्दगी तक ले ली जाती है और उनको इस तरह की धमकियां दी जाती रहती हैं। ऐसी सूरत में वह बड़े मालिकान जो बड़े बड़े हाउसेज को चलाते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती है और ज्यादातर रिपोर्टर्स और स्पैशल कारसपोंडेंट्स को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि उनकी जिन्दगी और उनके परिवार के लोगों को सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की किसी न किसी तरह से गारन्टी की जानी चाहिए और ऐसी अवस्था में जब भी कभी उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो जाए तो उनको सुरक्षा के लिये लेबर लाज में इस तरह का प्रावधान किया

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

जाए और उनको कंपेंशेसन या फैमिली पेंशन दी जाए तो उचित होगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश के जर्नलिस्ट देश के दिमाग को बनाते हैं, हमारा जर्नलिस्ट देश को सही दिशा दे सकता है, वह देश को वह दिशा भी दे सकते हैं जो सेहतमंद देश को बना सकें। वह ऐसी दिशा भी समाज को दे सकते हैं जिससे समाज में देशभक्ति और शान्ति बढ़ सकती है। लेकिन आज तमाम अखबार उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा रहे है जो कि आज़ाद हिन्दुस्तान में उनको निभानी चाहिएं। मैं पूरी तरह से इस पक्ष में हूं कि जर्नलिज्म को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उस इंडिपेंडेंस को कहां तक ज्यादा दिनों तक बर्दास्त किया जाएगा जिससे देश आगे न बढ़े? बड़े बड़े मालिकान के जो निहित स्वार्थ हैं, उनकी सलाह से उन्हें काम करना पड़ता है। हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनकी मंशा पर मेरा आक्षेप करने का इरादा नहीं है क्योंकि वह मजबूर है। जिन्दगी में पेट पालने के बहुत बड़े सवालात हमारे सामने है और जब वे किसी बात को समझते हैं कि वह समाज के खिलाफ होगी यदि उसको कहीं लिखना पढ़ता है तो उन्हें जिन्दगी में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पढ़ता है। ऐसा ही अभी एक फिल्म "मशाल" में चित्रण किया गया है, ट्र करेक्टाराइजेशन किया है अच्छे और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टस का : उसमें हीरो ने, जिसने अपनी मान्यताओं को एक तरह से जब कलम से लिखना चाहा तो उसको रोक दिया गया और रोकने के साथ साथ उसकी जिन्दगी में अनेक बाधायें और कठिनाइयां पैदा की गई।

आज यह भी होता है कि बड़े घराने के जो लोग अखबार चलाते हैं वह कारसपोंडेंट्स और रिप्रजेन्टेटिव्ज को भी परेशान करते हैं, इधर उधर ट्रांसफर करके भी सबके लिए परेशानियां पैदा करते हैं। मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा कि आज हमारे हिन्दी अखबारों को जो न्यूज एजेंसी हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपत्तियां हैं। अभी-अभी आप जानते है कि हमारी जो "समाचार भारती" समाचार एजेंसी है किस तरह से उसके अंदर हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट्स के खिलाफ तमाशा किया गया। उनको कितने-कितने दिनों तक तनख्वाह नहीं मिली और इस मामले में इस सदन में भी सवालात उठे थे। ऐसी स्थिति में जहां कि हम हिन्दी अखबारों के जरिए ज्यादातर लोगों के पास पहुंच रहे हैं वहां ऐसी एजेन्सीज को और ऐसे काम करने वाले केन्द्रों को बहुत ज्यादा महत्ता है इसलिए इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।

आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के लोगों का जो विश्वास है वह हमारे जरनलिस्टों के पेशे में और ज्यादा बढना चाहिए लेकिन वह विश्वास उसी वक्त बढ़ सकेगा जब हमारे काम करने के लिये कानून में जो प्रावधान किया गया है उनका कार्यान्वयन पूर्ण रूप से होगा तभी उनका काम करने में मन लगेगा और सुरक्षा की भावना से जो वह सोचते हैं उसे वह लिख सकेंगे और अपने आगे वाले भविष्य के लिये चिंतित नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ में धाबे साहब से अनुरोध करूंगा कि इस समय जो हमारा एक्ट है, 1981 में जो एमेंड हुआ था, वह हमारी सारी जरूरतों को जो उनके प्रस्ताव से संबंधित है, पूरा करता है। इसलिये वह अपना बिल वापस ले लें।

[SHRI K. MOHANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have been in the journalist's profession for nearly 18 years. I am happy to congratulate my esteemed

colleague who introduced such a Bill before the House to find out some kind of solution to the problem faced by the entire Journalist community of this country. I do agree that the working conditions of working Journalists in this country are much improved when compared to the state of affairs a quarter of a century back. But it was not with the mercy of anybody in this country but because of the organised and incessant fight waged by the working Journalists in this country that there has been this improvement in their working conditions. Many veteran leaders of this movement were victims in the struggle and many of them dedicated their lives to the cause of the Journalist community of this country. Even now, victimisation is the rule of law prevailing in this industry throughout the country. Right in the capital of India office-bearers of leading Unions including several Journalists were either suspended or dismissed or otherwise victimised for demanding a better deal to the workers. For example, the "National Hearld" which has not only not paid minimum bonus but also have swallowed up the provident fund of the workers. There are reports of even delaying the cases of the workers. The linkage they have given is that their newspaper establishments cannot be treated as charitable institutions. Last year more than 80 workers including leading union leaders were suspended from the various newspapers in Delhi. Sir, in the "Times of India", Delhi, which is leading establishment in the newspaper industry, the Palekar Award has not yet been properly implemented, despite booming profits. Some journalists are getting a category less than their colleagues. Even bonus is denied to them. Some of them have to work as bonded journalists, having to sign bonds. And this quantum has also been raised. Arbitrary standing orders are being foisted by some companies, including the "Hindustan Times", seeking to include a search clause for journalists. Two principal news agencies. Hindustan Samachar and Samachar Bharati, are now collapsing. In the Hindustan Samachar, journalists and non-journalists are working without wages for so many months.

BE: More than a year.

SHRI K. MOHANAN: Yes, more than a year. Sir, this is the general condition of the newspaper industry and this is the general way in which the management deal with the problems of working journalists and non-journalists in this industry. It is not that there is no money. Why am I saying that? Many of the newspaper establishments in this country are for complete automation. They have bought machines worth crores of rupees and yet are cutting down the journalist and non-journalist staff. There are genuine fears that in the next decade, half the staff in our newspaper industry would be out on the roads. Already, new recruits, other than managers, in most of the newspapers have been cut down, and new recruits even against existing vacancies are not being taken. Sir, I would like to know what the Government has to gain by having an army of unemployed newsmen in this country to please the barons of the newspapers industry. Already the casual labour and trainees for an indefinite period are on the increase in many of the newspaper establishments.

Sir, I am fuly aware of the situation faced by small and medium newspapers in this country. It is due to the wrong policies adopted by the Government in the matter of newsprint allocation and advertisements. The STC and the Government-owned newsprint factories are charging exorbitant prices for newsprint. And supplementing that, our hon. Finance Minister decided to cut 20 per cent on advertisements. In this context, I appeal to the Finance Minister to withdraw the 20 per cent cut on advertisements at least in the case of small and medium newspapers. Otherwise, these newspapers which are facing a very serious situation, will not be able even to implement the Palekar Award.

Now, I would like to point out the plight of the part-time correspondents and the non-journalists in this industry. You are aware of the fact that the Government, in order to study the working conditions of the journalists and to make arrangements for better conditions for them, appointed a tribunal under the chairmanship of G.D. Palekar who gave the award in 1980 which was called the

[Shri K. Mohanan]

Palekar Award. But the Award did not cover all the working journalists, part-time correspondents, apprentices and non-journalists. Consequently the objective of the tribunal remained unachieved. According to the Palekar Award, the newspaper establishments and news agencies were bound to enforce the recommended scales of pay. But in order to avoid the enforcement, they terminated the services of all kinds of part-time journalists. And a unique method was adopted for terminating the services of the part-time correspondents. For example, the "Hindustan Times" group wrote to the part-time correspondents as follows:

"You are hereby informed that the arrangement under which you filed newspaper reports and stories for our 'Hindustan Times' Hindi daily is hereby terminated with immediate effect."

The 'Indian Express' wrote:

"We advise you that due to reorganisation of administration we terminate our arrangement with you as part-time correspondent with effect from 31-3-80. We thank you for the interest you have shown hitherto. Please return us your press pass bearing authority."

The 'Nav Bharat Times' wrote:

"You are working as liner for our 'Nav Bharat Times' and your principal avocation is not jouranalism. You are being paid for your contribution on a liner basis at the rate of Re. 1 per column inch of the news that is published in our newspaper. There has been negligible contribution from you and, therefore, you are requested to stop sending your reports."

These are the methods adopted by the newspaper establishments to evade from the recommendation of the Palekar Award. In this context I say that the part-time correspondents are not getting the benefits as per the recommendations of the Palekar Award. So, this should also be rectified through a separte legislation.

Another one is the plight of the non-working journalists. The Working Journalists (Conditions of Service and Miscellato the non-working journalists employed in the newspapers. The Act is mainly meant for working journalists. However, though initially the Act was meant for working journalists, it was amended in 1974 and Section 13B was added empowering the Central Government to constitute a Wage Board for the non-working journalist newspaper employees. Though there is this power to constitute a Wage Board, there are no provisions made to give benefits to the non-working journalists. Even as per the recommendations of the Palekar Award it was not obligatory on the part of the newspaper establishments to implement the recommendations of the Palekar Award in relation to non-working journalists. So, in this case also an amendment to the original Act is necessary.

In view of this background I would appeal to the Minister that a comprehensive amendment Bill amending the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955 may be brought forward without and delay and in that case include the three amendments—one moved by Shri Dhabe on the floor of the House, second regarding part-time correspondents' service conditions and third for non-working journalist employees. With these words I conclude my speech.

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, our colleague and friend, Mr. Dhabe, has moved an amendment Bill with regard to the service conditions of working journalists and other newspaper employees. He has very clearly mentioned about the time element— especially an individual under the Industrial Disputes Act is totally barred from approaching labour courts to redress the grievances of the employees of the newspapers and working journalists. And my friend over there has requested him and has gone to the extent of asking him to withdraw the amendment Bill while another colleague of ours, Mr. Mohanan, supported entirely the amendment Bill moved by my colleague, Mr. Dhabe. As far as my position is concerned, Mr. Dhabe touched the last chapter of the working journalists and other newspaper employees Act, the life history of newspaper corres-

to the newspapers; he touched exactly the place where the employees, working journalists are employed, where they are dismissed or where they are discharged, where and how they are retrenched or how exactly they are to be terminated. What exactly they have to do after their termination? That is what our colleague has pointed out and has moved an amendment asking to oppose that particular Bill giving an opportunity for the employee to straightaway go before the Labour Court and to get his grievances redressed.

There are several grievances for working journalists and they have been clearly pointed out by my colleague, Shri Mohanan. As far as I am concerned, I have to say certain things with regard to newspaper journalists as well as other employees of newspaper industry.

My experience is that whenever I ask a journalist where he is working, with which paper he is working, he will say that he is working with a paper called 'A'. After a lapse of six months, if you ask the same journalist where he is working, he will tell you that he is working with some other newspaper. Once I asked him as to why he is changing from one place to another so often. Do you know what he said? He said: I am searching for a better job, with better salary, with better working condtions, with better environment and better circumstances so that I can have a better standard of living. This is the real position of each working journalist and each newspaper employee. They have no security of job in their life. My friend Mr. Dhabe was concerned about what such an employee or journalist can do, whether he or she can go straightway to the Labour Court or whether there is any other way in which he or she can get the grievances redressed.

My point is what is the condition of service of a journalist even after he is appointed as such in a newspaper office? Invariably he will be appointed as an apprentice or a part-time employee, though he will have to work for the full day. Though he will be asked to work throughout the day, he will be paid only on the basis of part-time job.

My friend has referred to the Palekar Award. I am not going to ask the Minister or the officers to recommend anything on the basis of the Palekar Award simply beause the Palekar Award was based on the conditions and circumstances prevailing ten years before. Palekar submitted his report after taking into consideration the situation prevailing ten years before. Even Palekar Award based on conditions prevailing long ago, some of the newspapers have not implemented.

This amending Bill moved by my friend says that a journalist or newspaper employee, after termination of his service, should be enabled to approach the Labour Court. What I have to say is about part-time correspondents and reporters who are working in rural areas whose plight is worse than their counterparts posted in urban areas. Part-time correspondents and reporters in urban areas can somehow manage to enter into some department or somehow tackle their problems after termination. But part-time correspondents and reporters working in rural areas are not in a position to live with a minimum standard of living even. For their sake, the Act has to be amended and I would suggest that such part-time correspondents and reporters, once they work for six months, should be automatically treated as full-time employees of the organisation. I think my friend Mr. Razi knows that this problem was discussed in this House sometime back when it was revealed how dangerous their job is. More than half a dozen reporters were murdered and this was discussed on the floor of this House a year back.

I know how part-time reporters are appointed to report about sports and horse-races in Guindy. These reporters have to work for 18 hours sometime continuously getting only part-time salary. I do not think they are even served with show-cause notices before dismissal. You know that we have to give a minimum of three months' notice before dismissing any of our employees. They do not

4 P.M.

state the reasons for which they are terminted or

[Shri R. Mohanarangam]

their services are terminated. With regard to the part-time workers or employees, they are not given this much of advantage and they are not given notices in advance and they are not given to understand as to what exactly the reasons are for which their services are terminated. There is no written appointment order also and there is no mention about the apprenticeship of the working journalists and the other newspaper employees. With regard to the categorisation also, Sir, I have to say something. There are categories like editors, sub-editors, news editors and so on. A news editor will be asked to look after the work of an editor whereas he would be given the salary of a news editor only. All these things that are there in the categorisation will have to be taken into consideration. The condition of these working journalists and the other newspaper employees in such that the entire Government, not only the Labour Minister, the entire Cabinet must take the full responsibility for taking care of the problems of these people, especially because the condition of the working journalists and the other newspaper employees is very very poor and is not comparable with the condition of even the Class IV employees of the Government, Central or State.

With these words, Sir, I would only request my honourable friend, Shri Dhabe, to withdraw this Bill. Not that we are not interested in the welfare of the working journalists and the newspaper employees. We are interested in their welfare and in the improvement of the working conditions of the working journalists and the newspaper employees. To that extent I support the Bill. Thank you, Sir.

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE (Assam): Mr Vice-Chairman, Sir, I stand here to speak something on the proposed amendment to the Working Journalists and Other Newspapers Employees (Condition of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we all know that it is a matter of common knowledge, and it would be admitted on all hands, that the big business tycoons who run most of the newspapers all over the country are minting money. They are minting a huge amount of money. But at whose cost? The working journalists and other categories of workers in the newspapers all over India, with their brilliant academic career and with their inspiration and perspiration, help these newspaper people in earning money, but they are getting nothing. Their interests are not looked after at all. The big business tycoons exploit them and make them work beyond the normal limit and these people who work for earning their bread, for getting two square meals a day, have to work very hard and they have to work very late also. In my area, I have seen, they have to report at 7 o'clock in the morning and they have to work till late in the night. For whose benefit? At a lamentably poor rate they are paid and they do not get anything. As far as the reporters are concerned, they have to report as the owners of the newspapers want them to report. As we all know, the owners in most of the cases are the rich people nad these reporters have to report as the owners want them to report. If they make a point out of it and if they want to report as they want to report, they never get a chance and if they have any opinion on a particular subject, they are never allowed to freely express that point and they are, I am constrained to say,always to dance to the tunes of the owners only. These are the people who always try to report the various maladies which are there in the society, the various incidents that take place in the country, and these are the people who try to make the most of their calibre and these are the people who want to write the correct things in the newspapers. But these big business people, who are actually running the newspapers, never allow them to do so.

Now, Sir, as far as I understand, in the case of the Industrial Disputes Act of 1947, any dispute or any matter connected with that has got to be referred to a labour court for adjudication only by the appropriate authority which means that the working journalists and others do not have any right or privilege to approach directly a labour court against any order of dismis-

sal, discharge, removal, etc. by the newspaper employer. You see under what pitiable condition the working journalists and other associated workers have to work. Actualy they do not get any benefit and they spend most of their valuable time just for depictnig a true picture of what is happening al' round the society. But actually they do not quite get anything out of that.

So I would like to support the amendment. But I want that it should be more comprehensive and more foolproof so that it can improve and steadily ameliorate the standards of the working journalists.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री अश्विनी कुमार (बिहार) : श्रीमन्, आज हमारे माननीय सदस्य, श्री धावे जी, ने एक बिल रखा है कि जो समाचार-पत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं ।

हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र के अंदर चार पाये मानते है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा प्रेस है । चारों के अंदर कोई भी एक पाया कमजोर होगा, जो प्रजातंत्र का ढांचा चार पैर के ऊपर नहीं चलेगा, चरमरा जाएगा । एक टांग नीची होने से चारपाई या टेबल डगमग करता रहेगा और आज देखने में क्या आता है कि कार्यपालिका के पास कितनी शक्तियां है, कितना उनमें काम करने वालों को धन मिलता है, यह कोई छिपा हुआ नहीं है । एक अपरिमित शक्ति उनके पास है । विधायिका के पास भी शक्ति है, चाहे जैसे कानून बनाते है । न्यायपालिका में भी लोगों को कुछ दो जून भोजन करने का समय मिलता है, पर जर्नलिज्म के अंदर पत्रकारिता जगत में आते हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति जीवन में कुछ भावनाओं से प्रेरित, साहित्यिक वृत्ति के लोग होते हैं, जो जान-बूझ कर कंटक मार्ग को अपनाते है कि इसमें तो कष्ट ही कष्ट हैं, पर फिर भी इसमें आते हैं, देश भक्ति की प्रेरणा से आते हैं कि हमको समाज में जो चीजें छिपी हुई हैं, उनको उजागर करके जनता के सामने लाना है । परन्तु उनको दो जून भोजन की व्यवस्था होती है क्या ? किन्हीं बड़े पत्रों के ऊपर जिनको कि एक सीमित सर्कुलेशन से ज्यादा सं० है, उनके ऊपर पालेकर अवार्ड लागू किये गये हैं, थोड़ा बहुत उनको वहां पर दो जून भोजन की व्यवस्था और कुछ नौकरी का स्थायित्व आया है, परन्तु मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उन पत्रकारों के अलावा दो और समाचार-पत्रों के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, एक अंग है जो प्रेस को चलाते है । उसके अंदर सारे प्रकार के कार्य करने वाले इम्पलायज़ीज है, प्रेस से लेकर वह पत्रकार के पास तक सारी चीजों को ले जाने, पहुंचाने का काम करते हैं, मशीन चलाते है ।

दूसरे हैं जो ताल्लुका में, जिले में बैठे हुए उनके पार्ट-टाइम कारेस्पांडेंट हैं । वास्तव में जो प्रांतीय केन्द्र होते हैं, बड़े महत्व के शहर होते हैं, उनके अंदर समाचार-पत्र पूर्ण समय, पूर्णकालिक अपना एक प्रतिनिधि रखते हैं । उसको कुछ आमदनी भी होती है, उनको नौकरी की तनख्वाह भी मिलती है, कुछ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है, पर जो जिला और ताल्लुका स्थान पर रहते हैं जहां भारत की जनता रहती है, आम आदमी जहां रहता है, जहां से समाचार आते हैं, वहां पर कौन होता है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई और इस प्रकार का सोशल वर्कर है, जोकि पार्ट-टाइम जर्न-

[श्री अश्विनी कुमार]

लिस्ट का काम करते हैं। वह घूमता-फिरता है और समाचार भेजता है और कई बार जो वहां के शासनकर्ता है, वहां के पुलिस और इंस्पेक्टर होता है, एस० पी० होता है, डी० एम० होता है, वहां की सत्ताधारी दल का जो एम० एल० ए० या एम० पी० होता है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कभी-कभी आवाज भी उठाते हैं, जो आज नग्न भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जानते हैं कि सदन के अंदर कई बार चर्चा होती है, लाखो-करोड़ों रुपया जो यहां से जनहित के लिए जाता है, वह किस प्रकार से इधर से उधर जाता है, जब उनके समाचार वह पत्रकार भेजते हैं, तो उनको धमकियां दी जाती हैं---खबरदार, अगर तुमने ऐसे समाचार-पत्र छापे।

तो मुझे पता है और मैंने इसी सदन में एक चर्चा भी रखी थी, बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर मे एक समाचार-पत्र प्रतिनिधि ने अपना समाचार रखा। वह शायद वहां के जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको पसंद नही आया। समाचार छपने के 44 घंटे के अंदर रात को नौ बजे जब वह एक होटल में खाना खा रहा था, तो मार-मार कर के उसे अधमरा कर दिया गया। इस प्रकार का एक नहीं, अनेक घटनाएं होती हैं।

पिछले साल उड़ीसा में एक महिला पत्रकार थी, उसने कुछ खबर ऐसी छापी ऐसी भेजी जो कि सत्ताधारी दल के अनुकूल नही थी। उस के ऊपर बलात्कार किया गया, उस को मार डाला गया। ये खबरें छपी हैं और आप सब ने देखीं है। इस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर सरकार चाहती है कि जो समाज के अन्दर घटनाएं हो रही हैं वे समाचारपत्रों के माध्यम से सरकार के सामने आएं तो उन्हें आवश्यक सुविधाएं देनी चाहिएं। अगर ये खबरें नही मिलेंगी तो सरकार काम नही कर सकेगी। इमरजेंसी के समय समाचारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। बहुत सी खबरें आती ही नहीं थीं। बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि हमें खबरें नही मिलती थी। प्रजातंत्र को अगर चलाना है तो जो जिले के अन्दर, सब-डिवीजन के अन्दर घटनाएं हो रही हैं उन का सही प्रतिबिम्ब सरकार के पास आना चाहिए। सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बहुत से समाचार पत्र पोस्टेज का खर्चा दे देते हैं, बहुत से 10, 20, 50 रुपए महीना दे देते हैं समाचार भेजने वालों को। जैसा इस में बतलाया गया है, उन की सर्विस कन्डीशन्स ठीक हों, उन को सुविधाएं प्रदान की जाएं। अभी-अभी हमने देखा कि 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' ये दो भाषायी समितियां हैं ---में क्या हो रहा है। महीनों से उन के कर्मचारियों को दिल्ली के आफिस में तनख्वाह नहीं मिली है पटना आफिस में नहीं मिली है : हमारे भाषायी समाचार--पत्रों को समाचार देने वाली ये एजेंसियां हैं, इन के लोगों को तनख्वाह नही मिल रही है, पार्ट-टाइम कारेस्पोडेंटस के बारे में सरकार क्या करेगी। इस सदन में चर्चा हुई है 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' के संबंध में। मेरा निवेदन है कि सरकार को यह सुविधा प्रदान करनी चाहिये कि किसी पत्रकार के ऊपर अन्याय होता है तो वह लेबर कोर्ट में जा सके, न्यायालय की शरण ले सके। अब 'हिन्दुस्तान समाचार' की को-आपरेटिव सोसाइटी थी, सरकार ने उसे स्वंय ग्रहण कर लिया और सरकार के अधीन चल रही है। सरकार ने उसे चलाने की जिम्मेदारी ली है, अपना एडमिनिस्ट्रेटर

एपोइण्ट किया है । इस पर भी एम्प्लाइज को तनख्वाह नहीं मिलती तो कैसा चलेगा । 'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती' के संवाददाता भूखों मर रहे हैं, 18–18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, दस-पन्द्रह साल की नौकरी है, इसी आशा से काम कर रहे हैं कि शायद मिल जायगी । पत्रकार जगत में रह गये, इसलिए बेचारे पड़े हैं । मैंने पूछा तुम को अठारह महीने से तनख्वाह नहीं मिली, काम कैसे कर रहे हो । उन्होंने कहा हम कहां जाएं, हम ने जवानी के पन्द्रह-बीस साल इस में लगा दिये, अब जाएं तो कहां जाएं, इस लिए इसी में लगे हैं, सरकार कभी तो देखेगी कि कितने महत्वपूर्ण अंग हैं । मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और चाहूंगा कि इन चीजों के बारे में सरकार ध्यान दे और उन की जो सर्विस कंडीशन्स हैं उन को सुधारे । उन के साथ जो अन्याय होता है — छोटे पत्रकारों को छोड़ दीजिये, 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है—–उस की कोई सुनवाई नहीं होती । सरकार ढाबे जी का बिल इस लिए स्वीकार न करे क्योंकि वह विरोध पक्ष से आया है, परन्तु मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई चीज हमारी तरफ से आई है, वह अच्छी है तो उसे स्वीकार करने से उसका बड़प्पन बढ़ेगा । हमारे अन्य मित्र जो कांग्रेस की तरफ से बोले हैं उन्होंने इस भावना को स्वीकार किया है, वह कहते हैं कि पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, उन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, परन्तु कहते हैं ढाबे जी का बिल नहीं पास होना चाहिए । मैं तो यही कहूंगा कि सरकार यह स्वीकार कर ले तो उस का बड़प्पन होगा क्योंकि यह बात ठीक है । लेबर मिनिस्टर बैठे हैं, मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेबर के बारे में कुछ सोचते हैं, उन की लेबर के साथ सहानुभूति है, वह भी दिल पर हाथ रख कर सोचेंगे तो यही कहेंगे कि पत्रकारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करना चाहिए । शायद उन की मजबूरियां हों । मैं यही कहना चाहता हूं कि सदन की भावना को ध्यान में रखते, हम सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इउ इस को स्वीकार करें । इस में इतना ही कहा गया है कि लेबर कोर्ट में आने की अनुमति दी जाए ।

साथ साथ जो नहीं होता है और जो कंपेशन है जैसे इंडस्ट्रियल लेबर को कंपेसेशन मिलता है उसी प्रकार की व्यवस्था इन के लिये भी की जाय । इस लिये मैं समझता हूं कि इस में संशोधन आना चाहिए कि उन को सर्विस कंडिशनस जो हैं—जसे 'समाचार भारती' के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वह नहीं होना चाहिए और इस लिये उन को सर्सिव कंडिशन्स ठीक की जाय उन के जरनलिस्टों को सुविधायें मिलें और जो पार्ट टाइम जरनलिस्ट है जो दूर दराज देहातों और जिलों में, कस्बों में रहते हैं, जो गांवों तक फैले हुए है जिन का हाथ सारे ग्रामीण भारत की नब्ज पर है उन के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जायें । और अंत में मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम ने सारे काम करने वालों को सुविधायें दी है उन की सर्विस कंडिशन्स में सुधार किया है चाहे वे पब्लिक सेक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों या कोआपरेटिभ सेक्टर में हों जिस तरह से उनके लिये सरकार ने अंकुश लगा रखा है कि उन को सुविधायें मिलती रहें उसी प्रकार से सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस की ओर भी ध्यान दे और

[श्री प्रेमनाथ कुमार]

पहले एवार्ड में जो कमियां रह गयी हैं, उस में जो लोग नहीं आ पाये हैं उन के लिये उचित व्यवस्था की जाय और जो छोटे पत्रकार हैं उन की कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं धावे जी के बिल का समर्थन करता हूं और आप के माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस को स्वीकार करें और हमारे पत्रकार भाइयों को जिन्दगी के विकास में और उस को सुधारने में सहयोग प्रदान करें।

डा० मोहम्मद हाशिम किदवई : (उत्तर प्रदेश) : जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, और आनरेबिल मेम्बरान, सब से पहले इस मामले पर दो रायें नहीं हो सकती कि जहां तक हमारी प्रेस का ताल्लुक है इस की अहमियत अपनी जगह पर है। हमें फख्र है कि हमारा मुल्क दुनिया की सब से बड़ी पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी है और यह भी सही है कि प्रेस फोर्थ स्टेट है और एक डेमाक्रेसी को मजबूत करने के और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिये इस की जरूरत है कि प्रेस पूरे तौर से फ्री हो। इस सिलसिले में हमारे वर्किंग जरनलिस्ट की जो हालत है वह अपनी जगह पर इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती कि उन के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है। सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उन की सर्विस कंडिशन्स को बेहतर बनाया जाय और इस के लिये ज्यादा से ज्यादा कदम उठाये जायें और इसी सिलसिले में अगर यह कहा जाय तो बात गलत नहीं होगी कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मोनोपोली प्रेस का जो रूल है वह कंडम किये जाने के काबिल है। जिस तरह से हमारे प्रेस के बैरन्स अपने इंप्लाईज के साथ बर्ताव करते हैं वह किसी तरह से भी एक डेमोक्रेसी में सूट नहीं करता। और इसी लये मेरा कहना यह है कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि प्रेस बैरन्स की पावर्स को और उन के घपले को खत्म किया जाय और बन्द किया जाय।

जो बिल इस वक्त पेश किया गया है उस के एम्स एंड आब्जेक्टस से किसी को एख्तिलाफ नहीं है। लेकिन यह कहना जरूरी है कि इस बिल में बहुत सी ऐसी चीजें है कि जो और होनी चाहिये थी और इनमें नहीं लायी गयी हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत इस बात की है कि एक काम्प्रेहेंसिव बिल हमारे लेबर मिनिस्टर साहब की तरफ से पेश हो जिस में प्रेस की और वर्किंग जरनलिस्ट की तमाम प्राबलम्स को सामने रखा जाय। जहां तक लेबर कोर्ट की बात है उस से किसी को एख्तिलाफ नहीं है। लेकिन इस सिलसिले में एक चीज की तरफ मैं आप की तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। हमारे बहुत से वर्किंग जरनलिस्ट ऐसे हैं कि उन के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अगर उन के साथ कोई ज्यादती की गयी हो तो वे लेबर कोर्ट के खर्चे को बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि और किसी वर्किंग जरनलिस्ट के साथ ज्यादती हुई है तो वह भी अपना केस लेबर कोर्ट में ले जा सके। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का प्राविजन भी जरूर होना चाहिए और जहां तक यह सब बातें कही गयी हैं कि जो वर्किंग जरनलिस्टों की वर्किंग कंडिशन और सर्विस कंडिशन के बारे में तो इस में कोई दो रायें नहीं हो सकती कि उन चीजों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उनकी सेवाओं को और बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि जो लोग प्रेस में काम करते हैं वह असल में नेशनल सर्विस करते हैं। इसलिए हमारा, आपका और सबका फर्ज है कि हम उनकी पूरी मदद करें।

इन लफ्जों के साथ मैं समझता हूं कि वह बिल जिस मकसद से पेश किया गया है, उससे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा

लेकिन अच्छा हो अगर इस बिल को ज़्यादा कांप्रिहैंसिव बनाया जाए। मसलन इस बिल में यह प्राविज़न कराया जाए कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स हैं उनको सेक्यूरिटी आफ लाइफ मिले क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट्स की पोजिशन यह है कि उनकी मिसाल इससे दी जा सकती है कि वह रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी उनको मिलता है, मतलब यह है कि उनको कोई सेक्यूरिटी नहीं है। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि उनको सिक्यूरिटी हो ताकि वह सही ढंग से अपना सारा काम अंजाम दे सकें।

†[ڈاکٹر محمد هاشم قدوائی]

(اتر پردیش): جناب وائس چیرمین صاحب اور آنریبل ممبران - سب سے پہلے اس معاملے پر دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ جہاں تک ہماری پریس کا تعلق ہے اسکی اهمیت اپنی جگہہ پر ہے - ظاہر ہے کہ ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ پریس فورتھ اسٹیٹ ہے - اور ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لئے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کیلئے اسکی ضرورت ہے کہ پریس پورے طور سے فری ہو - اس سلسلے میں ہماری ورکنگ جرنلسٹ کی جو حالت ہے وہ اپنی جگہ پر اسمیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ انکے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے - سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انکی سروس کنڈیشنس کو بہتر بنایا جائے اور اسکے لئے زیادہ سے زیادہ قدم اٹھائے جائیں - اور اسی سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مونوپلی پریس کا جو رول ہے وہ کنڈم کئے جانے کے قابل ہے - جسطرح سے ہمارے پریس کے بیرنس اپنے امپلائز کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ کسی طرح سے بڑی ایک ڈیموکریسی میں سوٹ نہیں کرتا - اور اسی لئے میرا کہنا یہ ہے کہ پوری کوشش ہونی چاہئے کہ پریس بیرنس کی پاورس کو اور انکے گھپلے کو ختم کیا جائے -

جو بل اس وقت پیش کیا گیا ہے اسکے ایمس اینڈ اوبجیکٹس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے - لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ اس بل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اور ہونی چاہئیں - اور اس میں نہیں لائی گئی ہیں - میرے خیال میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک کامپریہینسیو بل ہمارے لیبر منسٹر صاحب کی طرف سے پیش ہو جسمیں پریس کی اور ورکنگ جرنلسٹس کی تمام پرابلمس کو سامنے رکھا جائے - جہانتک لیبر کورٹ کی بات ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے - لیکن اس سلسلہ میں ایک چیز کی طرف میں آپکی توجہ دلانا چاہتا ہوں - ہمارے بہت سے ورکنگ جرنلسٹس ہیں کہ انکے [illegible]

†[]Translation in Arabic script

[ڈاکٹر محمد ھاشم قدوائی]

انکے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو تو وہ اعلیٰ کورٹ کے خرچے کو برداشت کر سکیں - لہذا ایسا پراویژن ہونا چاہئے کہ اگر کسی ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنا کیس ایپکس کورٹ میں لے جا سکے - تو میرے خیال میں اس قسم کا پراویژن بھی ضرور ہونا چاہئے اور جہاں تک یہ سب باتیں کہی گئی ہیں کہ جو ورکنگ جرنلسٹوں کی ورکنگ کنڈیشن اور سروس کنڈیشن کے بارے میں تو اسمیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتیں کہ ان چیزوں کو درست کیا جانا چاہئے - انکی سیواؤں کو اور بہتر بنانا چاہئے - کیونکہ جو لوگ پریس میں کام کرتے ہیں وہ اصل میں نیشنل سروس کرتے ہیں اسلئے ہمارا یہ اور سب کا فرض ہے کہ ہم انکی پوری مدد کریں -

ان الفاظوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جس مقصد سے پیش کیا گیا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کریگا - لیکن اچھا ہو اگر اس بل کو اور زیادہ کامپریہنسیو بنایا جائے - مثلاً اس بل میں یہ پراویژن کرایا جائے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں انکو سیکیورٹی آف لائف ملے کیونکہ ورکنگ جرنلسٹس کی پوزیشن یہ ہے کہ انکی مثال اس سے دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ روز کنواں کھودتے ہیں اور پانی انکو ملتا ہے مطلب یہ ہے کہ انکو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے تو کوشش یہ ہونی چاہئے کہ انکی سیکیورٹی ہو تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے اپنا سارا کام انجام دے سکیں -]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव बिहार : उपसभाध्यक्ष महोदय, धाबे जी ने जो विधेयक पेश किया है वह जिस रूप में है उसका मैं भी समर्थन करता हूं। और भी कई माननीय सदस्यों ने उस पर अपनी राय रखी है कि इस विधेयक का स्वरूप और व्यापक होना चाहिए। तो अच्छा तो यह होता कि सरकार की ओर से यदि यह आश्वासन उन्हें दे दिया जाता कि सरकार ही कोई व्यापक विधेयक इस सम्बन्ध में लायेगी तो माननीय सदस्य इसको वापस ले लेते तो कोई हर्जा नहीं होता। लेकिन सरकार के जरिये यह कहा जाएगा कि सरकार इस पर सोचेगी और अच्छे ढंग से सोच-समझकर कोई व्यापक विधेयक लायेगी, सरकार पत्रकारों की कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में कदम उठायेगी।

श्रीमन्, अभी अश्विनी कुमार जी बोल रहे थे उन्होंने 'समाचार भारती' का जिक्र किया। हम लोग इस मामले को उठाते रहे, लेकिन इस बात से भी दुख हुआ कि हिन्दुस्तान में न केवल हिन्दी बल्कि हिन्दुस्तानी भाषाओं में जितनी एजेन्सियां हैं या समाचारपत्र हैं, उनको चलाने वाले हैं, उनकी काफी दुर्गति होती रहती है और अंग्रेजी भाषा में जो समाचारपत्र चलते हैं, उनकी समाचार एजेन्सियां चलती हैं, उनको मान लिया जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के ज्ञान के समुद्र हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा को ज्ञान का भंडार और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा मान लिये जाने के कारण उनके ऊपर सरकार ज्यादा

ध्यान रखती है। और भी कई तरह की सुविधायें उनको दी जाती हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की जो हिन्दुस्तानी भाषायें हैं, इस देश की राष्ट्रभाषा, हिन्दी है और बहुत बड़े इलाके की मातृ भाषा भी है, राष्ट्रभाषा राजभाषा चाहे जो भाषा कहिए, सब भाषा के रूप में इसके लिए जो विकास किया जाना चाहिए, इसके पत्रकारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जायें, इन बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता।

श्रीमन्, गांवों में जो पत्रकार लोग हैं, जो वहां से समाचार भेजने का काम करते हैं, जो गांवों में लगे हुए है, वहां भी उन लोगों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता। वहां अच्छे से अच्छे पढ़े-लिखे लोग, जानकार लोगों को रखना चाहिए और जब उनको अधिक सुविधायें मिलेंगी तो अच्छे लोग वहां रहेंगे। अगर सुविधा नहीं मिलेगी और उनकी सेवायें ठीक ढंग से नहीं चलाई जायेंगी तो उनको भी यही माना जाएगा कि ये भी कोई आदमी लोग हैं, ऐसा अगर मान लिया जाता है तो वे गलत ढंग से काम करने लगते हैं या अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते, या उनमें ऐसे लोग भी चले आते हैं जिनको पत्रकारिता का ज्ञान नहीं। जहां पत्रकारिता से देश बनता है वहां कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मनोरंजन का साधन होती हैं, ऐसे पत्रकार होते हैं जो मनोरंजक होते हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं होता। श्रीमन्, कल एक सज्जन मुझे पढ़ा रहे थे मेरे फ्लेट में।

श्रीमन्, इस का नाम युवा सन्देश है या युवक सन्देश है, पता नहीं क्या सही नाम है, लेकिन मैंने देखा कि उसमें लोकदल के बारे में जो कुछ लिया है उस लिखने वाले ने, प्रेस वाले ने उसमें लिखा है कि लोकदल में राज्य सभा के नेता के पद पर श्री श्याम नन्दन मिश्र जी थे और उनको चुनाव में राज्य सभा का जिक्र नहीं किया गया इसलिए वह दल को छोड़कर चले गए। मैं देखता हूं जिनको पत्रकारिता का ज्ञान नही. वह लिखते हैं कि श्याम नन्दन मिश्र जी लोकदल के राज्य सभा के सदस्य थे। राज्य सभा में तो वह कभी नहीं आये। 1977 में वह लोक सभा के सदस्य थे। उसके बाद वह राज्य सभा में कभी भी नहीं आए। तो ऐसे लोग जो चले आते हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नही रहता कि पंडित श्याम नन्दन मिश्र जैसे आदमी को लिख देते हैं कि वे लोक दल के राज्य सभा के नेता थे। यह भी उनको पता नहीं। मैं इसलिए इन बातों को उठाता हूं क्योंकि जब सुविधाएं अच्छी नहीं है, उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं तो अच्छे जानकार लोग, अच्छे प्रशिक्षित लोग इस दिशा में आते नहीं हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को अखबार चलाने वाले मालिक लोग रख लेते हैं जैसे मजदूरों को तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह से रख लेते हैं जिससे जो चाहे वह करवा लेते हैं। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिये। ठीक बात है स्वतंत्र विचार आने चाहियें और अखबारों के माध्यम से स्वतंत्र विचार आते हैं। लोकतंत्र में सत्य कहने का ही लोगों को अधिकार नहीं है बल्कि लोगों को झूठ बोलने का भी उतना ही अधिकार है जितना की सत्य बोलने का। लोकतंत्र में जब सत्य बोलने का अधिकार स्वीकारा गया है तो असत्य भी वह बोल सकता है और उतनी ही ताकत के साथ बोल सकता है जितना ताकत के साथ वह सत्य बोल सकता है। लोगों का काम है सत्य और असत्य को जानें। लोगों को लोकतंत्र में असत्य कहने से रोका नहीं जा सकता। कई अखबार वाले किसी के ऊपर असत्य ही अरोप लगाते है। उनका काम है उसको सत्य सिद्ध करें, फिर घबराना नहीं चाहिये। ज्यादातर लोग घबराते हैं इसमें। मेरी यह प्रार्थना है कि

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

धाबे साहब ने जो अपने विचार रखे हैं इस के माध्यम से सरकार या तो इसी रूप में मान ले अगर नहीं मानती तो सरकार ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे इसमें भी व्यापक रूप उत्पन्न हो जाए। इसे अपने नियंत्रण में न रखे। सरकारी नियंत्रण में जितना दबा कर रखेंगे उतने ही विचार खंडित होते हैं, विचार धाराएं मरती हैं। सरकारी नियंत्रण में उन्हें मुक्त रखना चाहिये अदालतों में जाने का जहां हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है वहां इन्हें भी अदालतों में जाने का हक है। हर मजदूर अदालत में जा सकता है फिर इनको रोक कर रखना कोई उचित नहीं लगता। यह मौलिक अधिकार के विपरीत है। आप उनको सारे अधिकार दीजिए। आप इस पर गम्भीरता से विचार कीजिए और धाबे साहब के विधेयक को मान लेने में आपको कोई आपत्ति नही होनी चाहिये। अगर आप इससे बढ़िया और इससे व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं आप लाइये, धाबे साहब इसको वापस ले लेंगे। इसकी प्रतीक्षा हम लोग करेंगे कि पत्रकारों को कोई अच्छी सुविधा मिलेगी आपके रहते, पाटिल साहब के रहते इनको कुछ मिल जायगा जिससे आपका यश बना रहेगा और इन गरीबों का भला होगा। 'समाचार भारती' जो 'हिन्दी समाचार एजेंसी है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। क्योंकि हम लोग हिन्दी ही बोलते है, अंग्रेजी हम पढ़ते नही है। मोटे मोटे हरफों में दुनियां के अखबार छपते हैं लेकिन वह हमारे लिये काला अक्षर भैंस बराबर है। भैंस जो दूध देती है वह भी मोटे अक्षरों में अंग्रेजी में ही रहता है हम उनको लेकर क्या करेंगे। वह किस काम के रहते हैं; हम जिस भाषा में पढ़ते है, जिस हिन्दुस्तानी भाषा में, जुबान में बोलते हैं उन्हीं जुबान में अखबार निकलने चाहियें और इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं धाबे जी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मराठी में बोलूंगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जरूर बोलिये।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव: आप कहें तो मैं हिन्दी में बोलूं।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं, नहीं आप मराठी में बोलिये।

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV*

उपसभाध्यक्ष जी, उस विधेयक के बारे में मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। मेरे मित्र श्री धाबे साहब ने जो विधेयक पेश किया है वह महत्वपूर्ण विधेयक है। लेकिन सरकार इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिन्दी समझते हैं वे मराठी भी समझ सकेंगे। इसलिए पिछले दो साल से मैं सोच रहा था कि कभी मराठी में बोलूंगा। अखबार लोक शिक्षा का बड़ा प्रभावशाली साधन है। राजनीति, समाजशास्त्र और विज्ञान का अध्ययन मैंने मराठी में किया है। इसलिए आज मैं मराठी में बोलना उचित समझता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, अखबारों का व्यवसाय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मुश्किल भी है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इतिहास में या दूसरे विश्वयुद्ध के समय अडाल्फ हिटलर ने एक बार कहा था कि:

मैं एक हजार तोपों से नहीं डरता लेकिन अखबारों से मुझे डर लगता है। क्योंकि अखबारों पर एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। अखबारों पर नैतिक

*Original Speech in Marathi

जिम्मेदारी भी होती है इस देश की संस्कृति जिस तरह से प्रगति करेगी इस देश के लोकतन्त्र को इस देश के भविष्य को बनाने को, शिक्षा देने की जिम्मेदारी अखबारों की होगी। लेकिन यह सब होते हुए भी इस व्यवसाय में काम करने वाले जो लोग हैं जो कर्मचारी हैं उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ बड़े अखबारों को बाद छोड़ दें क्योंकि मैं बड़े अखबारों के बारे में नहीं बोलना चाहता। उनके पत्रकार दो तीन हजार तक वेतन लेते हैं। लेकिन ऐसे भी अखबार हैं जो 50-60 या सौ रुपये से ज्यादा वेतन नहीं देते हैं और उनको दिन में कम से कम एक समाचार भेजना पड़ता है। मेरे जिले में 10 से 15 दैनिक अखबार हैं जिनका सरकुलेशन तीन चार हजार प्रतियों से भी कम है। ऐसे अखबारों के प्रेस में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी इक्कनामिक कंडीशन बहुत ही विकट है। और मैं ऐसा कहूंगा कि इस देश की स्वतंत्रता के इतिहास में इन अखबारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे देश में तीन तरह के अखबार हैं। पहली किस्म के वे हैं जो पूंजीपतियों के अखबार हैं। ये पैसे वालों के अखबार अपना व्यवसाय करने के लिए इन अखबारों का इस्तेमाल करते हैं। "इंडियन एक्सप्रैस" की 50 लाख कापीज देश में डेली बेची जाती हैं। वे जिस तरह का विचार इस देश में पहुंचाना चाहते हैं वे उस तरह से अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन अखबारों के संपादक भी उसी विचार के हैं। लेकिन बेचारे पेट के लिए वहां काम करते हैं। और इच्छा न होते हुए भी उन्हें दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का काम करना पड़ता है। और दूसरे प्रकार के जो अखबार हैं उनको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। समाज में सेक्स की जो प्रवृत्तियां हैं उनको उभारने का काम ये अखबार करते हैं। कुछ अखबार डिटेक्टिव स्टोरीज छापते हैं जिनके कारण समाज की मानसिक प्रवृत्ति बिगड़ती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ बातें हिन्दी में कहना चाहता हूं। ऐसे विविध प्रकार के वृत्त-पत्र हमारे पास मौजूद हैं। वृत्त-पत्रों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समाज को कैसे बदला जाय, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मगर आप पिछले 25-30 सालों के वृत्त-पत्रों को देखें और यह देखें कि वे कैसे काम कर रहे हैं तो पता चलेगा कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पब्लिसिटी नहीं देते है, लेकिन अगर किसी आदमी से गलती हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है तो उसको इतने बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि देते हैं कि वह खत्म हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बुरी प्रवृत्ति का समर्थन करता हूं। मगर जो अच्छे काम हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुझे आज एक बात याद आती है। सन् 1962 में मैं पूना में था तो वहां पर आचार्य कृपलानी जी का भाषण हुआ। उस वक्त वे हमारे विरोध में थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी थोड़ा-सा बुरा काम करता है तो उसको बड़ी प्रसिद्धि दी जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी बात बताता है तो उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार की हमारे वृत्त-पत्रों की नीति चल रही है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे वृत्त-पत्र इम्पार्शियल होकर न्यूज देना शुरू करेंगे तो अच्छे लोग उनका समर्थन करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं जब इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं तो यह जरूर कहना चाहता हूं कि मैं आज तक अपनी जिन्दगी में बचपन से ही लेफ्टिस्ट थिंकिंग का रहा हूं।

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

मैं चाहता हूं कि इस देश में समाजवाद आना चाहिये और आज भी इसी प्रवृत्ति का हूं... (व्यवधान)। मराठी में बोलने में यहां पर कुछ डिफिकल्टीज हैं, इसलिये हिन्दी में बोल रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि वृत्त-पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और उसी के अनुसार जो वृत्त-पत्रों का दर्जा है और जो उनका स्टेन्डर्ड होना चाहिए वह बनाया जाना चाहिए क्योंकि आज कल के वृत्त-पत्रों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत हद तक उनमें थ्री फोर्थ मैटिरियल एडवर्टाइजमेंट का होता है। उनमें न्यूज बहुत कम होते हैं। हमारे देश के लोगों को जो न्यूज मिलने चाहिए वे उनमें बहुत कम होते है। बहुत से वृत्त-पत्र कार्माशयल वृत्ति के होते है वे किसी दबाव में या किसी राजनैतिक दबाव में अपनी प्रवृत्ति लगाते हैं जिससे उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिल सके। इस तरह से ये वृत्त-पत्र मजा करते हैं। वृत्त-पत्रों का जो पवित्र कर्त्तव्य है उससे विमुख रहते है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी नई पीढ़ी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी कौन थे? जब गांधी पिक्चर आई, उसको देखने के बाद बहुत से बच्चों ने पूछा कि क्या गांधी जी इतने बड़े आदमी थे। आप और हम तो आजादी मिलते वक्त स्कूल में पढ़ते थे, हमें मालूम है। लेकिन हमारे जो वृत्त-पत्र हैं जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें इतना दोष है कि जो देश के प्रभावी नेता है, महान व्यक्ति है उनसे भी यह बच्चों को अच्छी तरह से परिचित नहीं कराते। यह इन्हें करना चाहिए और साथ ही साथ हमारे देश में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और अच्छे विचारों का प्रचार इन वृत्त-पत्रों के माध्यम से होना चाहिए। साथ ही साहित्य, कला, शास्त्र राजकरण, नैतिकता इसका भी अच्छी तरह से प्रचार वृत्त-पत्रों के जरिये होना चाहिए। श्रीमन् मैं इस बिल का समर्थन तो नहीं कर सकता मगर मैं श्रम मंत्री जी से विनती करूंगा कि आगे चलकर वे ऐसा कोई बिल लायें जिसमें जो धाबे साहब के अच्छे प्वाइंट्स हैं उनमें कुछ और अच्छे प्वाइंट्स मिलाकर एक अच्छा बिल लायें ताकि वृत्त-पत्रों के प्रतिनिधियों को न्याय दिया जा सके।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : आप इसको क्यों सपोर्ट नहीं कर सकते ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : क्योंकि यह इनकम्पलीट बिल है।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : बांडेड लेबर हैं आप।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : बांडेड लेबर आप हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। बांडेड लेबर का समर्थन तो आप करते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनको आर्थिक लाभ मिले और उसमें कोई रुकावट न हो।

इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाय। इसके जो अच्छे प्वाइंट्स हैं उनको दूसरे बिल में लाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर सकता और मैं धाबे साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे इसको वापस लें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धाबे

साहब ने सदन में जोविधेयक रखा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। पत्रकारिता का व्यवसाय यह भारत में ही नही सारे विश्व में एक पवित्र और स्वतंत्र व्यवसाय समझा जाता है और इस व्यवसाय में बड़े-बड़े लोगों ने काम किया है। महात्मा गांधी 'हरिजन सेवक' निकालते थे वह भी पत्रकार थे। पंडित मदन मोहन मालवीय भी पत्रकार थे। इसी प्रकार से श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने भी पत्रकारिता की है। तो ये बड़े-बड़े आदमी पत्रकारिता में इसलिये आये क्योंकि यह व्यवसाय बहुत ही स्वतंत्र और पवित्र समझा जाता था। परन्तु बहुत थोड़े से लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय के अन्दर कौन-कौन सी अड़चने हैं और कौन-कौन सी रुकावटें है। मैं भी एक पत्रकार हूं। मुझे पता है कि पत्रकार स्वतंत्र होना चाहता है, वह लिखना चाहता है स्वतंत्रता से। परन्तु इनके ऊपर दो दबाव रहते हैं, एक तो उसके मालिक का और दूसरा सरकार का जो कि बार-बार उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। उसको बड़े-बड़े खतरनाक कामों में भेजा जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस तरह काम करना, इस तरह काम करना और वह भी बिना खर्चे के। वह उसके लिये आफत होती है। तो इस प्रकार इस व्यवसाय के अन्दर जो रुकावटें हैं वह पत्रकार ही जानते है, दूसरा आदमी नही जानता। मेरा बड़े-बड़े विदेशी पत्रकारों से सम्पर्क रहा है। हमारे जम्मू और काश्मीर मे एक नही चार बार युद्ध हुए। वहां बाहर से पत्रकार आते थे और जब हम उनकी सर्विस कंडीशंस देखते थे तो हमें हैरानी होती थी और सोचते थे कि कितने जन्म-जन्मान्तरों के बाद हमें ये सुविधायें मिल सकेंगी। इस प्रकार की सुविधायें अपने पत्रकारों को उपलब्ध नहीं हैं। पत्रकारों को युद्ध भूमि में भेजा जाता है और ... सर पर रहती है, गोली सर के ऊपर रहती है, बम फटते रहते है परन्तु वहां से वापस आने पर उनको क्या दिया जाता है? कुछ नहीं। हमारे फौज के आदमी जो युद्ध भूमि में जाते है और वापस आते हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसके परिवार को सब कुछ मिलता है लेकिन पत्रकारों को कुछ नही मिलता। अगर वे वहां मर जाते हैं तो उनका नाम भी खत्म हो जाता है। पत्रकारों को और भी कई संकटों से गुजरना पड़ता है। बड़ी-बड़ी भयानक परिस्थितियों में काम करने पड़ते हैं, यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो उसके सिर पर चाबुक पड़ता है। यदि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दे तो भी उसके सिर पर चाबुक पड़ता है। उनको इतनी विकट परिस्थितियों में काम करना पड़ता है यह हम लोग जानते है और सरकार भी जानती है। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि वह सरकार या जो मालिक है उन पत्रकारों का जिनको हम रिपोर्टर कहते हैं क्या उनका सम्मान करती है? क्या उनको मुआवजा देती है? नही देती है। मिसाल के तौर पर मैं आप के सामने दो तीन बातें रखूंगा। उनको बड़े-बड़े बलिदान भी करने पड़ते है लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। कराची की बात है 1930 में वहां से एक दैनिक पत्र निकलता था। वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। इस पत्र का जो मालिक था वह ब्रिटिश सरकार का अपना आदमी था। उसने उस पत्र के सम्पादक को और रिपोर्टर को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भाषण होंगे वह अगर तुम छापोगे तो उसका परिणाम तुम्हे भुगतान पड़ेगा क्योंकि मैं सरकार का आदमी हूं। उसने पहला काम यह किया कि प्रातःकाल जब पेपर निकला उसमें पंडित जी का ...

[श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त]

परिणाम यह हुआ कि मालिकों ने पेपर के सम्पादक की, रिपोर्टर की तनख्वाह काट ली और दूसरे दिन धमकी दी गई कि कल भी लिखा तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन सम्पादक ने और रिपोर्टर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का सारा क. सारा भाषण छाप दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उस सम्पादक का नाम था पुनिया उसी दिन पंडित जी ने करार्ची में भाषण दिया उस में उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के संवाददाता और सम्पादक हमारे देश में पैदा हो गये हैं तो यह समझना चाहिये कि आजादी हमारे द्वार खटखटा रही है। इसी प्रकार आज भी पत्रकारों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बार बार यह चिल्लाते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। सरकार ने कुछ किया है। पहले उन्होंने वेज एक्ट पास किया परन्तु उसमें भी बहुत से लूपहोल्ज थे। उसके बाद जर्नलिस्ट्स एक्ट पास किया उसमें भी लूपहोल्ज थे। उनको पूरा लाभ नहीं पहुंचा और फिर पालेकर अवार्ड हुआ लेकिन पालेकर अवार्ड के बाद भी सारे पत्रकारों को लाभ नहीं पहुंचा है। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको इससे लाभ पहुंचता है परन्तु बहुत से मालिक ऐसे है उन्होंने कुछ पत्रकारों को लाभ दिया है और कुछ को नहीं दिया है। जैसे मेरे मित्रों ने कहा कि यह दो प्रकार के हैं। एक तो स्टाफर है और दूसरे पार्ट टाइम हैं जिनको स्ट्रिंगर्ज कहते है। अब जो स्ट्रिंगर्ज की अवस्था है मैं उसके विषय में आपको बतलाना चाहता हूं। जो स्ट्रिंगर्ज हैं उनको कुछ रुपयों के लिए रख लिया जाता है जैसे किसी को दो सौ रुपये किसी को तीन सौ रुपये या किसी को चार सौ रुपये दिये जाते हैं। उनके इस अमाऊंट में कोई बढोतरी भी नहीं की जाती है। 10,15,20 साल तक वे काम करते है और न उनको कोई ग्रेच्युटी मिलती है और न पेंशन मिलती है। काम उतना ही लिया जाता है जितना स्टाफर्ज से लिया जाता है। इसलिए स्ट्रिंगर्ज को ज्यादा सफ्फर करना पड़ता है। मेरी यह प्रार्थना है जैसे कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है उनको भी सब सुविधाएं वहां दी जाएं और उनको भी लाभ पहुंचाया जाए जो स्टाफर्ज को मिलती हैं। इस प्रोफेशन को फोर्थ इस्टेट कहा जाता है। पहली इस्टेट है हाउस आफ लार्डज दूसरी है हाउस आफ कामन्स और उसके बाद आता है क्लर्जी परन्तु हमारे देश में यह नही है। हमारे देश में यदि पत्रकारिता के स्तर को ऊंचा करना है तो पत्रकारों के स्तर को भी हम ऊंचा करें। इनको भी वही सुविधाए दें जो कम से कम विदेशों में पत्रकारों को मिलती हैं। वहां पर यह सुविधाए नहीं है। धावे साहब का जो बिल है मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं कहूंगा कि यदि पास न हुआ तो यह बड़ा भारी अपराध होगा। It will be great injustice to the Press if it is not passed. I request my friends to give passage to this Bill.

यह आगे भी आ सकता है। अभी इस में कोई कमी है तो उसके बाद भी आ सकता है। जैसे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आया, पालेकर अवार्ड आया, उसके बाद भी आ सकते है। परन्तु इसको आप जरूर पास कीजिए।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for this opportunity given to me at the last moment to speak a few words on this important measure brought before the House by my esteemed friend Mr. Dhabe. Sir, it is well known

in jurisprudence that wherever there is a right, there must be a remedy. The Working Journalist Act which is sought to be amended by this Bill was passed as early as 1955. It is high time that this Act is given a second look by the Labour department of the Government of India. The position, as it stands now—I am referring to the subject matter of dispute—is indeed rather incongruous. A person having a grievance or seeking a remedy has to go to the Government first. The Government—I mean, the Government's Labour Officer—considers the matter and initiates a process of conciliation. When conciliation fails, it is entirely up to the Government either to refer or not to refer the dispute to an industrial tribunal, which means that if the Government chooses not to refer the dispute to any tribunal, the person aggrieved, particularly if he is poor, is without any remedy. This is a situation which the honourable the Labour Minister would be pleased to consider. simpathetically, especially in view of the fact (a) that the National Labour Commission has already made a recommendation to this effect; and (b) that three States in India, viz., the States of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have already adopted their own legislations giving rignts to the working journalists to go to industrial tribunals, if need be.

Sir, some hon. Members have been good enough to state that this is not a comprehensive Bill, the Bill has certain defects, certain lacunae, which have to be looked into, carefully considered, and thereafter an appropriate legislation might be brought. The honourable the Labour Minister has yet to reply. I do not know whether that is the view of the honourable the Labour Minister as well. If that is the view of the honourable the Labour Minister, I can quote any number of precedents of the Indian Parliament to show that legislations initiated by private Members were subsequently adopted by the Government itself. There have been instances where private Members have persisted with particular pieces of legislation and ultimately succeeded in persuading the Government to come forward with appropriate legislative measures. The Dowry Prohibition Bill, 1952, the Prevention of Cruelty to Animals Bill, 1953, the Prize Competitions Bill, 1953, the Motor Transport Workers Bill, 1955, the Hindu Adoption, and Maintenance Bill, 1955, the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Bill, 1957, the Companies (Amendment) Bill, 1957 (amendment to Section 293 to ban donations by companies to political parties), the Arms Bill, 1957, the Representation of People (Amendment) Bill, 1958 were measures which were first initiated by private Members in one of the Houses and later led to Government legislation on those subjects. If the hon. Minister thinks that this particular Bill should be further considered in order that the Government may bring its own legislation as soon as possible on the same subject, I shall personally consider that the hon Labour Minister is doing justice to the cause.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): Mr. Vice-Chairman, Sir, my esteemed friend, hon. Mr. Dhabe, has brought this Bill for a limited purpose. Sir, the purpose, as he has already explained, is to give a right to working journalists and all the newspaper employees to approach the labour courts with their individual disputes directly.

Sir, while participating in the debate, several hon. Members discussed about the service conditions of the working journalists, part-time correspondents, implementation of the Palekar Award and other connected matters. Sir, strictly, these matters are not relevant to the Bill whih is under consideration. But, since the hon. Members have mentioned them in the course of the discussion, the debate, on the Bill, I feel that it is better to give whatever information I have been able to collect with regard to the points that they have raised.

[Shri Veerendra Patil]

Sir, so far as securing the implementation of the Palekar Award is concerned, the appropriate Government is the State Government. Although the Government has approved, has accepted, the Palekar Award, implementation and overseeing the implementation of the Palekar Award is the direct responsibility of the State Government. Sir, according to the information that I have been able to collect from different States in our country there are in all 1,820 newspapers. Sir, the position in respect of implementation of the Palekar Award is as follows:

	NOs.
Newspapers who have implemented in full . . .	580
Newspapers who have implemented in part	32
Newspapers who have not implemented	125

Some newspapers are already paying higher wages than whatever is suggested in the Palekar Award.

Their number is 11. And paying as per mutual agreement—5 newspapers. Some cases are in the court. The management have gone to the court. Their number is 30. Out of purview 802 newspapers. The newspaper managements which have been closed after the Palekar Award came into force, they are 235. Sir, this is the position in regard to the implementation of Palekar Award. Sir, I entirely agree with the hon. Members although implementation or securing the implementation of the Palekar Award is the responsibility of the State Government, but Government of India is equally concerned, equally anxious to see that the Palekar Award is implemented in full and *in toto*.

Sir. the hon. Members may be aware that at our level as well as at the Central Government level a tripartite committee has been set up under my Chairmanship to review the implementation of the Palekar Award. Similarly, we have asked all the State Governments to set up some tripartite committees to review the implementation of the Palekar Award. So, I want to assure the hon. Members that Government of India is fully committed to the implementation of the Palekar Award. We are getting periodical reports and wherever we feel that Palekar Award is not being implemented we are reminding those State Governments to take appropriate action to ensure proper implementation of the award.

Sir, some hon. Members referred to part-time correspondents. So far as part-time correspondents are concerned, in order to safeguard the interest of the part-time correspondents Section 2(f) of the Working Journalists Act was amended to redefine involving Journalists and now includes making Journalists and part-time Journalists whose principal avocation is that of a Journalist. Then, some hon. Members referred to that part-time correspondents are being retrenched. Their services are being terminated and being subject to lot of harrassment. Sir, in order to protect the interests of the working Journalists from retrenchment, because of the Palekar Award recommendation, hon. Members are aware that we have recently amended the Act in 1981, making Section 16A read as follows:

"No employer in relation to a newspaper establishment shall, by reason of his liability for payment of wages to newspaper employees at the rates specified in an order of the Central Government under section 12, or under section 12 read with section 13AA or section 13DD, dismiss, discharge or retrench any newspaper employee."

So, totally dismissal, retrenchment or discharge of the employees has been prohibited by amending this

5 P.M. Act. So, this is how the Government has tried to safeguard the interests of the working journalists and all the employees who are working in the newspaper industry.

Sir, the hon. Member, Mr. Dhabe, is aware of the fact that the newspaper industry and those who are working in this industry, whether they are working journalists or non-working journalists or

other employees of the newspaper industry, come under the State sphere. That means, so far as the grievances or disputes of the workers working in the newspaper industry are concerned, the appropriate Government is the State Government. It is not the Central Government. The State Government is the appropriate Government because the newspaper industry comes under the State sphere. Sir, as the hon. Member, Mr. Dhabe, has himself admitted, working journalists, non-working journalists and all employees working in the newspaper industry are covered by the Industrial Disputes Act. The ID Act is applicable to them. So far as their disputes or grievances are concerned, they come under the purview of the Industrial Disputes Act. Sir, under the Industrial Disputes Act, the procedure is laid down for resolving a dispute. If there is a dispute, if there is a grievance, then the worker can raise an industrial dispute and the Conciliation Officer, who is a Labour Officer, conciliates, and if unfortunately the conciliation efforts fail, then he makes a report to the State Government or any Government which is the appropriate authority. After receiving a report or a reference from the Labour Commissioner, the State Government or the appropriate authority scrutinises the report and then takes a decision whether the case should be referred to a tribunal or to a labour court for adjudication. And if, according to the State Government or the appropriate authority, it is not a fit case for being referred to a labour court for adjudication, then the State Government rejects the application or rejects the request for reference to a labour court. And while communicating the decision of the State Government to the worker or to the concerned person, the State Govt. has to give the reasons why they are rejecting it. They communicate the reasons also for rejecting the application. Sir, this is the procedure which is applicable not only to all the other employees who are working either in establishments or in shops or in industries or anywhere where the Industrial Disputes Act is applicable, but it is equally applicable to all those employees working in the newspaper industry. Sir after all, a workman is a workman, whether he works in the newspaper industry or he works in an establishment or he works in any other industry I think all workmen, all workers have got equal rights. But now what Mr. Dhabe wan's is that the employees of the newspaper industry should be given the opportunity of approaching the court direct. Sir, if I agree to the proposal that has been put forth through this Bill, then I cannot make it an isolated case. If workmen working in the newspaper industry are to be allowed to approach the court direct, then why not we give the same facility to the workmen working in other establishments and other industries? How can we deny that right to them? How can we make any discrimination? I do not know whether it is constitutionally correct on our part to make such a discrimination with regard to the workers working only in the newspaper industry and treating workers working in other establishments and other industries on a different footing. I do not think it is possible. So this is the difficulty. Supposing a worker feels that his application for referring his case to a labour court was rejected without valid grounds, then he has got an opening—not that he has not got an opening, He can go with a writ petition to the High Court or he can go with a writ petition to the Supreme Court.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: I agree with the point that you are making but you can also examine the proposition from the point of view of reasonable classification. I request you to do that

SHRI VEERENDRA PATIL: The honourable Shri Mitra is suggesting that may have a reasonable classification. I do not know whether we can make any discrimination and whether we can make the case of employees working in the paper industry a separate case and give this benefit and at the same time deny the same benefit to other workers working in different establishments and industries. I do not know and I think it is for the legal pundits and legal experts to go into that and advise me..

SHRI LAL K. ADVANI (Madhya Pradesh): Mr. Mitra is a legal expert.

SHRI VEERENDRA PATIL: What I was trying to impress upon the honourable Members was in the normal course if the case is a good case, a *prima facie* case, and if the Government feels that injustice has been done to a particular worker, I don't think the State Government will reject that application. On the other hand, when they scrutinise the application they will take into consideration whether there is a genuine case, whether there is a *prima facie* case, whether it is a fit case to be referred to the tribunal or to the labour court. Even after taking this power of scrutiny and screening of the cases before referring them to the labour court, I want to make it clear because hon'ble Members would like to know why the Government wants to take this power of scrutiny or screening or the power of giving permission before referring the case to the labour court—the only problem that we are facing is that, as it is, there are so many cases pending in the labour courts, there are so many cases pending in the tribunals, for years together that the workers are losing faith in the system itself. For the benefit of hon'ble Members I want to quote the figures—expecting the State of Jammu and Kashmir—as on 31-3-1983 in the sphere of States: The cases that are pending in all the labour courts in the States is 1,51,246. I do not know when they are going to be disposed of—including collective and individual disputes and individual applications. So far as the Central Government Industrial Tribunals are concerned where we are the appropriate authority, as on 29-2-1984 3,681 cases and applications are pending. Even after having this power of scrutiny and screening and only selected cases, where there is a good case, a genuine case, are refered, even then the number is so large, and if we give a free hand to everybody to approach the courts, then I do not know, the number can run into millions. When are they going to be decided? That is the main problem. That is why the Government is taking this power. I agree that for referring the cases when applications are made, the State Government or whichever is the appropriate authority, they should not take more time, that they should dispose of the case as early as possible and tell the party whether they are going to refer the case for adjudication or not. I will see that suitable administrative instructions are issued and these delays are minimised to the extent possible.

We have already taken certain steps for speedy disposal, and that Bill which was discussed here and passed——the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1982—we have not been able to notify it. Hon. Members are aware of the difficulties why we have not been able to notify it. That is a different matter and I do not want to go into the details of it now. What we have provided in that Act for speedy disposal is like this—I shall put it in brief—

"With a view to ensuring speedy disposal of industrial disputes, the Industrial Disputes (Amendment) Act has een passed. The amendment provides, *inter alia,* for the following:

'In case of an industrial disputes connected with individual workmen, the industrial court or labour court shall give its award within a period of 3 months.' "

In the case of other disputes the order referring a dispute to a National Tribunal/ Industrial Tribunal/Labour Court shall specify the period within which the award shall be submitted.

It would be obligatory for every industrial establishment employing 50 or more workmen to set up a grievance settlement authority so as to enable workmen to seek settlement of industrial disputes connected with individual workmen.

Where a Labour Court awards reinstatement of a workmen and it is contested by the employer in High Court/Supreme Court, the workmen would be entitled to receive from his erstwhile employer, 100 per cent of the wages last drawn by him. inclusive of maintenance allowance, if any, otherwise admissible under any rule.

These are a few steps we have taken in order to see that the cases are disposed of as early as possible.

Before I conclude, I would like to inform the House and the Hon'ble Members that we are thinking of a comprehensive Bill. Justice Mitra was just now saying that if Government is prepared to give an assurance that such a comprehensive Bill is under consideration.....

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Is it in respect of Industrial Disputes Act?.

SHRI VEERENDRA PATIL: It is in respect of working journalists. We have already received certain suggestions and we have yet to receive a few more. I have already said that we have different forums where we can discuss the problems of working journalists and employees in the newspaper industry. In addition, I can assure the Hon'ble Member that a comprehensive Bill is under consideration. It will be really comprehensive so that we should not have to go in for piecemeal legislation thereafter on this subject. In the circumstances I request Hon'ble Shri Dhabe who is a seasoned trade union leader and who knows the difficulties not to press this Bill, but to agree to withdraw this Bill. When the comprehensive Bill comes up for discussion, all Hon'ble Members will have sufficient opportunities to express their views.

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: One clarification. The Hon'ble Minister said that newspaper is a State subject. Suppose a paper is of an all-India character and its correspondents are working all over the country. In other words, if a Bombay paper has a correspondent in Haryana and when a dispute arises, what should he do?

SHRI VEERENDRA PATIL: The paper may be anywhere. If the worker belongs to a particular paper and is working in a particular State, and if he has got any grievance, he can approach the Labour Commissioner of that State and he can get it conciliated. If he fails to get it conciliated, then he can approach the State Government and ask them to refer it to the Labour Court.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I am really surprised at the Minister's statement that the labour courts will be flooded with cases if the power is given to workers or the working class. I am not sure whether he knows the position in at least three States. Under section 78 of the Bombay Industrialisation Act, 1946, and under section 16 of the Central Provinces and Berar Industrial Disputes Settlement Act, 1947 and under the M.P. Industrialisation Act, 1962, the workers can go to the Labour Courts direct. The same provision is there in the Gujarat Act also. What is the result? That was my contention. The result was that there was no dispute or any strike or any tension among the workers. If these workers have to go to the court, there will not be any trouble. Otherwise, strike takes place even for suspension. That was the experience. What is the number of textile workers now? The number of journalists and the other newspapers employees all over India taken together comes to about fifty to sixty thousand. But Bombay alone has got about 2 1/2 lakhs of textile workers. Three States, that is, Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat, have got about seven to eight lakhs of textile and other workers covered by the Acts. I am told that it is about a million. So, these Acts apply to other industries also like the steel industry. So, the remedy is not to say that the labour courts will be flooded with cases. But the remedy is to open more labour courts. In my region of Vidarbha in Maharashtra, in eight districts, there were few labour courts and now every district has got one labour court and the matters are disposed of in about six months or one year. Therefore, this is not something new which I am suggesting.

Secondly, a question has been raised as to what will happen because they are governed by the Industrial Disputes Act. Here the Government itself has erred. They have taken out the non-journalists from the purview of the Industrial Disputes Act by providing a wage board for them. The Industrial Disputes Act provides for a wage board and award by the industrial tribunal. You

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

non-journalists also there will be a separate wage board. Therefore, this category of non-journalists you have taken out and placed them under the Act for the journalists for providing them a wage board. Now, I have quoted the Patna High Court case. They do not consider the journalists as workmen and they have struck this down. It has been said that the journalists or non journalists will have a wage board. Many have suggested that time has come to cover the entire newspaper industry under the Working Journalists Act which should be applicable to both. This is not only my demand, but the demand of the Indian Federation of Working Journalists and also the other Union, the National Union of Journalists. You cannot have a partial application of one law and partial application of another law. Therefore, it is necessary to have one set of laws and to make it applicable to all the employees. I only regret that my friend and colleague on the other hand Mr. Razi said that the law is quite good. He made a speech opposing it. But I had already pointed out in 1981, when Journalists Act Amendment Bill came up for discussion, about section 16A. What have you provided under this section? What does it say? Now, this section has been quoted by some speakers here. It speaks about retrenchment of the workers. It says:

> "No employer, in relation to a newspaper industry, shall dismiss or retrench any newspaper employee . . ."

I raised this question even at that time. There is no remedy. Only if it becomes illegal, the man will be prosecuted for the breach of the Act. But there is no provision here which you have made that if a breach of the Act takes place, he will have a remedy. Merely creating a right is not sufficient. You must also have a remedy under the law. Therefore, section 16A supports my contention that the labourers must have a direct access to the courts. Even if one man suffers in not getting a reference, it is ... regarding the law and I think the honourable Minister of Labour knows this. In this connection, Sir, I would only like to say that merely creating rights under the law is not sufficient. It is a fundamental principle of law that if you create a right, you must also creat a remedy for the breach of that right and that the remedy should be epeditious and adequate too. There was no reply to my question as to what will happen if my reference is refused. Now, I cannot go to the civil court under the common law because you have deprived me of that right.

SHRI VEERENDRA PATIL: But you can go to the High Court.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: You know what it means. You have deprived me of the ordinary citizen's right under the common law in the country of going to the civil court. Now, I will have to file a writ petition and spend about five thousand rupees or so and go to the Supreme Court which is no answer to the problem of a poor man. I have already quoted a particular case of a journalist. I am grateful to all the honourable Members who have participated in the debate and supported my amendment.

Now, Sir, I have quoted a case of a newspaper in Delhi itself whose editor has been placed under suspension for eleven months. Show me a single similar provision, where it can be challenged. There is no provision. Therefore, all the categories of punishment require to be re-examined and there should be some particular mode of doing this.

Lastly, the Labour Minister, for whom I have a great regard, said something about appropriate Government. I never said that the State Government may do it. But what is the existing law. What happened in the textile workers' strike? The textile magnates were so powerful that the unions could not do anything. Therefore, when there is a class struggle going on, between the working class and the management, there should be the least interference by the Government in ... and parties should be left

to themselves to carve out their nights. But as my friend, the Labour Minister, has agreed that he will bring a comprehensive Bill to cover the working journalists and non-working journalists, and I hope that he will bring as early as possible....

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Your idea has been met.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: I hope he will bring it as early as possible Do not put it in the cold storage for a long time. Even a piecemeal legislation would do Many piecemeal legislations even about mere raising salary limit to Rs. 1600 or more are brought by Government. However in view of the assurance given by the Minister—I think the matter is very important and journalists must get a fair deal—in view of the assurance that has been given, I may be allowed to withdraw the Bill

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Is it the pleasure of the House to permit Shri Dhabe to withdraw the Bill?

[*No hon. Member dissented.*]

[*The Bill was, by leave of the House withdrawn.*]

REFERENCE TO THE ALLEGED INDIFFERENT TREAMENT GIVEN TO SANSKRIT IN INDIA

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं । संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है और समस्त भाषाओं को यह शब्द भंडार दे रही है । यह किसी समय बहुत ही उच्च आसन पर बैठी थी । लेकिन आज धीरे धीरे इसका आसन डोल रहा है और गिर रहा है । संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी के अतिरिक्त हमारी संस्कृति की धरोहर है । जो बड़े-बड़े स्कालर, धुरंधर विद्वान दूसरी भाषाओं के हैं जब वे भारत में आते हैं तो वे संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं और उसके साहित्य का विवेचन करते है ताकि भारत की परम्परा भारत की संस्कृति को जान सके । यह सब संस्कृत में है और किसी भाषा में नहीं है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि संस्कृत जो भारत की भाषा है, जहां से निकली है वहा उसका प्रचार और प्रसार न होकर विदेशों मे हो रहा है । आप रशियन में देखिये, उसमें पता नहीं कितने सैकड़ों ग्रंथों का अनुवाद, संस्कृत से रशियन भाषा में हो चुका है । इसी प्रकार से वैस्ट जर्मनी और दूसरे मुल्क हैं जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाती है और पढ़ाई जाती है । महोदय, पिछले वर्ष जापान के एक प्रोफेसर है डा० शिघोकु महैदा भारत आये थे । वह वहां संस्कृत के प्रोफेसर हैं और वह दर्शन पढ़ाते हैं । वह दिल्ली मे आये थे और मुझे मिले थे । उन्होंने कहा कि जापान मे संस्कृत का प्रचार बढ़ रहा है और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं । जम्मू युनिवर्सिटी में संस्कृत की हेड आफ दी डिपार्टमेंट डाक्टर वेद कुमारी डेनमार्क गई और वहा पाणिनी के अष्टध्यायी को पढ़ाती रही, उन्होंने कहा कि वे बड़े चाव के साथ, बड़े स्नेह के साथ संस्कृत पढ़ते थे । अष्टध्यायी में उन्होंने इतनी रुचि दिखलाई कि वह 8–10 महीने में इसका बिल्कुल मनन कर गये । विश्व संस्कृत सम्मेलन हो र है । पांच सम्मेलन हो चुके है । पांचवा सम्मेलन वाराणसी में हुआ था जिसमें मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था । उससे पहले वेस्ट जर्मनी में सम्मेलन हुआ था । वाराणसी में डेढ़ सौ के करीब विदेशी विद्वान जो संस्कृत के थे वह सम्मिलित हुए और उन्होंने मुझे कहा कि इण्डिया लिव्ज विकाज आफ संस्कृत । यह उन विद्वानों